हरि कृष्ण बनाम भारत संघ और अन्य

मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह और न्यायाधीश आर. एस. नरूला के समक्ष

हरि कृष्ण। -अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ और अन्य -उत्तरदाता

L.P.A. नं. 1966

16 फरवरी 27,1968

शब्द और वाक्यांश-चाहे मुश्तरक भूमि-जिसका अर्थ है-कोई कुआँ न होने वाली बंधक भूमि-अपनी जमीन में कुएँ से सिंचाई करने वाला बंधक-ऐसी बंधक भूमि-चाहे वह चाही मुश्तरक भूमि बन जाए-ऐसी भूमि जिसका कोई कुआँ न हो और न ही किसी अन्य कुएँ से सिंचाई का अधिकार हो-चाहे उसे चाही कहा जा सकता है।

अभिनिर्णित (प्रति मेहर सिंह) कि चाइ मुश्तार भूमि का अर्थ है ऐसी भूमि जो संयुक्त रूप से अच्छी तरह से सिंचित है या किसी विचार पर आसपास की भूमि के मालिकों के स्वैच्छिक समझौते द्वारा एक साथ अच्छी तरह से सिंचित है। हालाँकि, जहाँ एक बंधककर्ता बंधक का लाभ उठाता है और अपने साथ बंधक की गई भूमि की सिंचाई करता है, जिसका अपना कोई कुआँ नहीं है, वह अपनी ही भूमि के कुएं से सिंचाई करता है, यह चाही मुश्तार के रूप में सिंचित भूमि का मामला नहीं है। इस मामले में गिरवीदार का कोई कहना नहीं है। बंधक के मोचन के बाद वह किसी भी अधिकार, संविदात्मक या अन्यथा के तहत, पिछले बंधककर्ता की बगल की भूमि में कुएं से भूमि की सिंचाई करने के लिए जोर नहीं दे सकता है। ताकि जो इस प्रकार अस्थायी रूप से सिंचित किया जाता है, उस विशिष्ट स्थिति के कारण जिसमें बंधककर्ता सिंचित भूमि के संबंध में अपने अधिकार रखता है, उसे सहमति से और किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में कुएं से किसी प्रकार के अनुबंध या समझौते के तहत स्वेच्छा से सिंचित किया जाता है। जैसे ही बंधक भूमि के मामले में मोचन होता है, भूमि की प्रकृति और चरित्र तुरंत अपनी मूल प्रकृति और चरित्र में वापस आ जाता है। यदि यह पहले बरनी या असिंचित भूमि थी, तो यह मोचन के बाद भी बनी रहती है।

अभिनिर्णित (प्रति नरूला) वह भूमि जिसमें न तो कोई कुआँ है और न ही किसी बाध्यकारी अनुबंध या अनुदान या किसी अन्य स्थायी प्रकृति की वैध और निर्वाह व्यवस्था के कारण अधिकार के रूप में किसी पड़ोसी भूमि से या कहीं और से प्राप्त होने वाले कुएँ के पानी से सिंचित होने का हकदार है, को चाइ श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
माननीय न्यायमूर्ति ए. एन. ग्रोवर के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड X के अधीन लेटर्स पेटेंट अपील सिविल रिट नं. 10 नवंबर, 1965 को 1964 का 2601.

राम रंग, याचिकाकर्ता के लिए एक डी. वी. ओ. सी. टी.
जी. सी. एम. आई. टी. टी. ए. एल., एक डी. वी. ओ. सी. ए. टी., उत्तरदाताओं के लिए।

हरि कृष्ण बनाम भारत संघ और अन्य

आदेश

मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह

यह एक विद्वान एकल न्यायाधीश के 10 नवंबर, 1965 के निर्णय और आदेश से लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत एक अपील है, जिसके तहत उन्होंने अपीलार्थी हरि किश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका को खारिज कर दिया था।

इस अपील में तथ्य वास्तव में विवाद का विषय नहीं हैं। अपीलार्थी एक विस्थापित व्यक्ति है। उन्हें 1958 में गाँव उचा गाँव में 4 मानक एकड़ और 11 मानक यूनिट भूमि आवंटित की गई थी। भूमि के विस्थापित मालिक ने इसे गिरवी रखा था और गिरवीदारों ने अपनी ही भूमि में एक कुएं से इसकी सिंचाई की थी। नतीजतन, राजस्व पत्रों में भूमि को चाहे आयतन के रूप में दिखाया गया था; जिसका अर्थ है अस्थायी रूप से अच्छी तरह से सिंचित। हालांकि, भूमि अभिरक्षक में निहित होने के बाद, निकासी हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत निकासी हित को अलग कर दिया गया था (Act 64 of 1951).

इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि गिरवीदार के कब्जे से बाहर हो गई और स्पष्ट रूप से गिरवीदार की अपनी भूमि में कुएं से सिंचाई बंद हो गई।

अपीलार्थी ने दावा किया कि भूमि बरनी या असिंचित थी। प्रबंध अधिकारी ने गुड़गांव के उपायुक्त को एक संदर्भ दिया कि क्या भूमि, जैसा कि राजस्व अभिलेखों में कही आयतन के रूप में दिखाई गई थी, इसे चाइ के रूप में माना जाना चाहिए, जो अच्छी तरह से सिंचित है, या अन्यथा। उन्हें उपायुक्त से निर्देश प्राप्त हुए कि इसे अच्छी तरह से सिंचित भूमि माना जाए। अपीलार्थी द्वारा एक अभ्यावेदन पर मामला राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि के मूल्यांकन के रूप में देखा गया था और जब तहसीलदार (सहायक कलेक्टर) ने रिपोर्ट दी कि इसका मूल्यांकन बरनी (असिंचित) भूमि होने के आधार पर किया जाना चाहिए, तो उपायुक्त (कलेक्टर) ने उनसे सहमति व्यक्त की। परिणामस्वरूप 29 जून, 1959 को मेवला महाराजपुर गाँव में अपीलार्थी को एक मानक एकड़ और बीजे मानक इकाइयों का अतिरिक्त क्षेत्र आवंटित किया गया था। उन्होंने 2 मई, 1961 को उस भूमि में स्वामित्व, अधिकारों के संबंध में स्वामित्व विलेख भी प्राप्त किया।

16 मार्च, 1964 को पलवल के तहसीलदार (बिक्री) ने पुनः मामला पंजाब के मुख्य निपटान आयुक्त को इस आधार पर अपीलार्थी को भूमि के एक मानक एकड़ और 1) मानक इकाइयों के अंतिम-उल्लिखित अतिरिक्त आवंटन को रद्द करने के लिए भेजा कि अपीलार्थी को शुरू में आवंटित भूमि, जिसे चाही आयतन के रूप में वर्गीकृत किया गया था, का मूल्यांकन पुनर्वास विभाग के निर्देशों के अनुसार, अच्छी तरह से सिंचित भूमि की दर से किया जाना था न कि असिंचित भूमि। मुख्य निपटान आयुक्त ने 4 जून, 1964 को उस संदर्भ को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थी के आवंटन से अतिरिक्त क्षेत्र को रद्द कर दिया, जो संशोधन में आगे निवारण प्राप्त करने में विफल रहा।

अपीलार्थी की याचिका पर प्रत्यर्थियों की वापसी के साथ, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के महानिदेशक श्री तरलोक सिंह के 28 अप्रैल, 1948 के आदेश की प्रति अनुलग्नक आर. आई. प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया है -

हरि कृष्ण बनाम भारत संघ और अन्य

"जो भूमि उधार लिए गए कुएँ के पानी से सिंचित होती है और जमाबंदी में 'चाइ मुश्तार' के रूप में प्रवेश करती है, उसका मूल्यांकन चाइ के रूप में किया जा सकता है।"

प्रत्यर्थियों की ओर से दिए गए विवरणी में यह कहा गया था कि चूंकि चाइ मुश्तार भूमि का मूल्यांकन और उपचार पुनर्वास विभाग द्वारा अच्छी तरह से किया गया था, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि चाइ आयतन भूमि का मूल्यांकन और उपचार अच्छी तरह से नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों प्रकार की भूमि किसी आस-पास के कुएं से उधार लिए गए पानी से सिंचित होने में सक्षम थी। विद्वत न्यायाधीश ने अपीलार्थी की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मुख्य निपटान आयुक्त को विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति और पुनर्वास) नियम 1955 के नियम 102 को ध्यान में रखते हुए आवंटन को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र था और इस संबंध में विद्वत न्यायाधीश उस नियम के खंड (घ) पर निर्भर करता है कि आवंटन को रद्द करना लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी अन्य पर्याप्त कारणों के लिए हो सकता है।

इस अपील में अपीलार्थी की ओर से जो आग्रह किया गया है वह यह है कि विद्वत एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण सही नहीं था और मामले की परिस्थितियों में, अस्थायी रूप से अच्छी तरह से सिंचित भूमि के साथ उसी आधार पर व्यवहार करने के लिए मुख्य निपटान आयुक्त के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिस आधार पर कुएं के मालिक और भूमि के मालिक के बीच एक अनुबंध या समझौते के आधार पर कुएं से संयुक्त रूप से सिंचित भूमि, भूमि का प्रकार जिस पर आदेश, अनुलग्नक आर 1 की प्रतिलिपि लागू होती है, इस संबंध में कांशीराम बनाम भारत संघ का एक संदर्भ दिया गया है, (1) एक ऐसा मामला जिस पर दोनों पक्ष निर्भरता रखते हैं। अपीलार्थी का पक्ष इस बात पर निर्भर करता है कि उस मामले में पट्टेदार ने पट्टे पर दी गई भूमि के एक हिस्से पर कुएँ डूबे थे। इसके बाद भूमि का वह हिस्सा जिसमें पट्टेदार द्वारा कुएँ डूबे गए थे, पट्टेदार द्वारा पुनर्वास विभाग से खरीदा गया था। हालाँकि, इन कुओं का उपयोग अन्य भूमि की सिंचाई के लिए भी किया गया था जो पुनर्वास विभाग के पास बचा था।
तब सवाल उठा कि क्या इसे चाइ (अच्छी तरह से सिंचित) या बरनी (असिंचित) भूमि के रूप में माना और मूल्यांकन किया जाना था। विद्वान न्यायाधीशों की राय थी कि "विभागीय अधिकारियों ने इस मामले में बरनी भूमि को चाइ भूमि के रूप में मानने में पूरी तरह से अनुचित तरीके से और कानून के विपरीत काम किया"। अपीलार्थी विद्वान न्यायाधीशों के इस निष्कर्ष पर निर्भर करता है। उत्तरदाताओं के पक्ष में इस बात पर भरोसा किया गया है कि हरि किशन के मामले को विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष उद्धृत किया गया था और उन्होंने इससे असहमति नहीं जताई, बल्कि इसे अलग किया।

विद्वत न्यायाधीशों द्वारा दिया गया भेद यह है कि वह मामला इस आधार पर आगे बढ़ा कि मुख्य निपटान आयुक्त को विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति और पुनर्वास) नियम, 1955 के नियम 102 के अनुसार आवंटन को रद्द करने के मामले का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र था और उसने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करने के बाद, विद्वत न्यायाधीश मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं था। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि कांशीराम के मामले में विद्वान न्यायाधीश इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि जब स्वीकार किए गए जैक्टों पर अच्छी तरह से सिंचित भूमि पाई जाती है, जो कि अच्छी तरह से सिंचित भूमि नहीं है, तो यह कानून में त्रुटि नहीं है जो संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका में इस न्यायालय के हस्तक्षेप का हकदार है। यह मामला प्रत्यर्थियों के पक्ष में बोलने के बजाय अपीलार्थी के पक्ष में बोलता है। आदेश में, श्री तरलोक सिंह, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के महानिदेशक के अनुलग्नक आर. आई. की प्रतिलिपि, संदर्भ राजस्व

हरि कृष्ण बनाम भारत संघ और अन्य

अभिलेखों में दर्ज की गई भूमि को 'चाही मुश्तार' के रूप में है, जिसका अर्थ है संयुक्त रूप से अच्छी तरह से सिंचित या एक साथ अच्छी तरह से सिंचित, और ऐसा तब होता है जब 'ए' की अपनी भूमि में उस भूमि की सिंचाई के लिए एक कुआँ होता है और 'बी', आसपास की भूमि का मालिक, कुछ विचार पर पानी उधार लेता है, और अपनी भूमि की सिंचाई करता है। वहाँ 'बी' का अधिनियम एक समझौते या अनुबंध पर आधारित है और स्पष्ट रूप से स्वैच्छिक है। हालांकि, वर्तमान जैसे मामले में, जहां बंधककर्ता बंधक का लाभ उठाता है और अपनी ही भूमि में एक कुएं से अपने साथ बंधक की गई भूमि की सिंचाई करता है, यह 'चाइ मुश्तार' के रूप में सिंचित भूमि का मामला नहीं है। इस मामले में गिरवीदार का कोई कहना नहीं है। बंधक के मोचन के बाद वह किसी भी अधिकार, संविदात्मक या अन्यथा के तहत, पिछले बंधककर्ता की बगल की भूमि में कुएं से भूमि की सिंचाई करने के लिए जोर नहीं दे सकता है। ताकि जो इस प्रकार उस विशिष्ट स्थिति के कारण अस्थायी रूप से सिंचित किया जाता है जिसमें बंधककर्ता सिंचित भूमि के संबंध में अपने अधिकार रखता है, उसे सहमति से और किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में कुएं से किसी प्रकार के अनुबंध या समझौते के तहत स्वेच्छा से सिंचित किया जाता है। जैसे ही बंधक भूमि के मामले में पुनर्भुगतान होता है, भूमि की प्रकृति और चरित्र तुरंत अपनी मूल प्रकृति और चरित्र में वापस आ जाता है।
यदि यह पहले बरनी या असिंचित भूमि थी, तो यह मोचन के बाद बनी रहती है। इसलिए, पुनर्वास और पुनर्स्थापन महानिदेशक के आदेश की स्पष्ट रूप से गलत व्याख्या, अनुलग्नक आर. 1 की प्रतिलिपि, और वर्तमान मामले के तथ्यों पर आदेश का पूरी तरह से गलत अनुप्रयोग किया गया है।

मुख्य निपटान आयुक्त के पास इस तरह के आदेश की गलत व्याख्या करने और पढ़ने और अपीलार्थी को उस भूमि पर उसके अधिकार से वंचित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिसका आवंटन मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस दृष्टिकोण में, इस अपील को स्वीकार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को उलट दिया जाता है और अपीलार्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है, जिसमें मुख्य निपटान आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें उसके पक्ष में भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाता है। मामले की परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

न्यायाधीश नरूला कांशीराम आदि में इस न्यायालय का पूर्व खंड पीठ का निर्णय। v. भारत संघ आदि। (1) उस दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करता है जिसने मेरे स्वामी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी प्रशंसा की है। इस अपील में मैंने कांशीराम के मामले में खंड पीठ का निर्णय लिखा, जिसके तथ्यों की प्रासंगिक रूपरेखा मेरे प्रभु, मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए निर्णय में पहले ही ऊपर दी जा चुकी है। दुआ, जे. और मैंने उस मामले में कहाः —

पीठ ने कहा, "चाइ भूमि के आवंटन के समय या तो जिस कुएं से भूमि की सिंचाई की जाती है, वह पूरी तरह से किसी विशेष विस्थापित व्यक्ति को आवंटित भूमि के भीतर आता है या उस कुएं में उसके हिस्से को परिभाषित किया जाता है, जिससे उसकी भूमि की सिंचाई की जानी है। याचिकाकर्ताओं के मामले में न तो कोई कुआँ उनकी भूमि के भीतर आता है और न ही उन्हें किसी कुएँ में हिस्सा आवंटित किया गया है। वास्तव में सरकार के लिए ऐसा करना असंभव है क्योंकि जिन ट्यूबवेलों के अस्तित्व के कारण इस भूमि को कुछ समय में चाइ के रूप में वर्णित किया गया था, वे सरकार के स्वामित्व में नहीं हैं और कभी भी निकासी संपत्ति नहीं थे और इसलिए सरकार के लिए याचिकाकर्ताओं को उनमें से कोई भी हिस्सा आवंटित करने के

लिए खुला नहीं है। और पुनः अनुलग्नक 'आर-एल' (रिट याचिका में प्रत्यर्थियों के लिखित कथन के साथ संलग्न) में निहित निर्देशों का उल्लेख करने के बाद जो मेरे लॉर्ड द्वारा पहले ही पुनः प्रस्तुत किए जा चुके हैं और जिन्हें ग्रोवर, जे द्वारा उद्धृत किया गया था हरि किशन बनाम भारत संघ, (2) में 10 नवंबर, 1965 को निर्णय लिया गया था, यह इस प्रकार देखा गयाः - "यह महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त निर्देशों में भी यह नहीं कहा गया था कि जो भूमि केवल उधार के पानी से सिंचित होने में सक्षम थी, उसे चाही माना जाना चाहिए, और न ही उपरोक्त निर्देशों से संकेत मिलता है कि जामबंदी में केवल प्रवेश को निर्णायक माना जाना चाहिए। निर्देश इस आशय के स्पष्ट हैं कि यदि दो शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात् (i) भूमि को वास्तव में संबंधित समय पर उधार लिए गए पानी से सिंचित किया जाता है; और (ii) इसे जमाबंदी में चीनी मुश्तार के रूप में दर्ज किया जाता है जिसका अर्थ है उधार लिए गए पानी से सिंचित। राज्य के वकील ने आगे ग्रोवर, जे. के फैसले में निम्नलिखित वाक्य पर भरोसा किया है, जो इसके संदर्भ से अलग था-'दोनों प्रकार की भूमि किसी आस-पास के कुएं से उधार लिए गए पानी से सिंचित होने में सक्षम थी।

इस अवलोकन के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि विवादित भूमि उन चीनी मिलों से संबंधित सरस्वती चीनी मिलों से संबंधित ट्यूबवेलों से भी सिंचित होने में सक्षम है। मुझे नहीं लगता कि न्यायमूर्ति ग्रोवर ने कभी भी उस प्रकार का कोई सुझाव दिया है जिसे राज्य का विद्वान वकील विद्वान न्यायाधीश के निर्णय से स्पष्ट करना चाहता है। ऊपर दिया गया अवलोकन स्पष्ट रूप से दो प्रकार की भूमि की प्रकृति से संबंधित है और अधिक नहीं। राज्य के वकील के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि जो भूमि केवल सक्षम है, उसकी भूमि में किसी और के कुएं से पानी से सिंचित होने के कारण उसे चाइ के रूप में माना जाना चाहिए। इस अर्थ में यह तर्क दिया जा सकता है कि विवादित भूमि में एक कुआँ खोदा जा सकता है और इसलिए यह चाइ बनने में सक्षम है और तदनुसार इसे माना जाना चाहिए। यह विवाद अपने आप इसमें भ्रांति को प्रकट करता है।

पूर्ववर्ती खण्डपीठ के निर्णय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभवतः इस अपील में प्रत्यर्थियों का समर्थन कर सके। मुझे लगता है कि किसी ऐसी भूमि को, जिसमें न तो कोई कुआँ है और न ही किसी पड़ोसी भूमि से या कहीं और से प्राप्त होने वाले कुएं के पानी से सिंचित होने का हकदार है, या तो किसी बाध्यकारी & #39; अनुबंध या किसी अन्य वैध और स्थायी प्रकृति की स्थायी व्यवस्था के अनुदान के कारण, पूरी तरह से गलत (और बिना किसी कारण के) है। इस मामले के स्वीकृत तथ्यों पर विवादित भूमि से ऐसी कोई सुविधा जुड़ी नहीं है। इसलिए इसे चाइ के रूप में नहीं माना जा सकता था। इसके विपरीत मुख्य निपटान आयुक्त का विवादित आदेश इस संबंध में कानून की त्रुटि से संबंधित है जो इसके चेहरे पर स्पष्ट है। इसलिए इस आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं तर्क और निष्कर्षों के साथ-साथ इस अपील में मेरे लॉर्ड, मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए निर्णय में प्रस्तावित आदेश से पूरी तरह सहमत हूं।

हरि कृष्ण बनाम भारत संघ और अन्य

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

अनुराग यादव
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
नारनौल, हरियाणा